

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज्ञ अदालत

उपखण्ड अधिकारी
हरीरामलाल


मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

जीतमल

किस्सा मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट नम्बर 132/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>9.4.25</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>हरीरामलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>नन्दराम वेगार</u></p> <p>निवासी <u>नगरी (बख्सी)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में या <u>नगरी</u></p> <p>प.ह. <u>(नगरी) बख्सी</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1309/2899</u></p> <p>कुल कीता <u>L</u> कुल रकबा <u>0.5500</u> है० की पत्थरगडी करवाई जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी को खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नगरी (प.ह. नगरी) बख्सी</u> स्थित खातेदारो की भूमि आराजी नम्बर <u>1309/2899</u></p> <p>कुल कीता <u>L</u> रकबा <u>0.5500</u> है० की बिना किररी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शो अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्गित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (विनु देवडी) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>